राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस नोट

परीक्षा के आयोजन के दौरान ही परीक्षा शुचिता एवं गोपनीयता भंग होने की पुष्ट जानकारी उपरान्त राजस्व अधिकारी ग्रेड–।। एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग–IV स्वायत शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा, 2022 (परीक्षा दिनांक 14.05.2023) निरस्त। समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः होगी परीक्षा

आयोग द्वारा दिनांक 14.05.2023 को 111 पदों हेतु आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड–।। एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग –IV स्वायत शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा, 2022 में 1,96,483 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी विचारित सूची में कुल 311 अभ्यर्थी सम्मिलित थे।

उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षा के आयोजन दिनांक 14.05.2023 को ही नयाशहर पुलिस थाना, बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0235 दिनांक 14.05.2023 एवं इसकी चालान रिपोर्ट दिनांक 06.08.2024, गंगाशहर पुलिस थाना, बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0167 दिनांक 14.05.2023 एवं इसकी चालान रिपोर्ट दिनांक 04.07.2024 तथा गंगाशहर पुलिस थाना, बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0165 दिनांक 14.05.2023 एवं इसकी चालान रिपोर्ट दिनांक 08.08.2023 से यह स्पष्ट हुआ है कि परीक्षा केन्द्रों पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेस के माध्यम से नकल हुई थी।

प्राप्त शिकायतों के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 12.06.2024 को शिकायतों की जांच हेतु ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी को लिखा गया था।

दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित अभ्यर्थियों के संदिग्ध प्रतीत हाने पर आयोग द्वारा भी दिनांक 02.08.2024 से दिनांक 08.08.2024 तक अनेक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुनः जांच कर पूछताछ नोट तैयार कर दिनांक 14.08.2024 को अतिरिक्त महानिदेशक, ए.टी.एस. एवं एस. ओ.जी को अग्रिम अनुसंधान करने हेतु लिखा गया था, जिसके क्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी, राजस्थान, जयपुर ने दिनांक 28.08.2024 को आयोग को अवगत कराया है कि उक्त परीक्षा आयोजन तिथि के दौरान परीक्षा की गोपनीयता के सम्बन्ध में गम्भीर तथ्य सामने आये हैं।

इसी प्रकरण में दिनांक 24.10.2024 को अतिरिक्त एसओजी, जयपुर ने भी एसओजी थाना जयपुर में दिनांक 19.10.2024 को FIR No. 66/2024 दर्ज की गई है एवं अनेक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है।

उक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर आयोग ने यह पाया कि उक्त परीक्षा के आयोजन के दौरान ही कतिपय परीक्षा केन्द्रों पर वांछित शुचिता का पूर्ण अभाव रहा है। कई अभ्यर्थियों के ब्लूटूथ से नकल करने के संबंध में दर्ज तीन प्राथमिक रिपोर्ट, उनके अनुसंधान उपरान्त अपराध प्रमाणित पाये जाने पर स्पष्ट हुआ है कि राजस्व अधिकारी ग्रेड–II एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग–IV (स्वायत्त शासन विभाग) परीक्षा, 2022 (परीक्षा दिनांक 14.05.2023) की शुचिता एवं गोपनीयता खण्डित हुई है।

अतः आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड–II एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग–IV (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा, 2022 को निरस्त कर समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(रामनिवास मेहता)
सचिव